



गोरखपुर  
महाप्रबन्धक कार्यालय  
गोरखपुर

संख्या-04-  
संख्या-211/2017  
संख्या-सं0-96/2017  
संख्या-9/17/भाग-2/चार

दिनांक -10-2017

सचिव/महाप्रबन्धक  
सचिव/अपर महाप्रबन्धक  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक  
सभी कार्मिक अधिकारी  
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक  
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना  
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों रेलवे कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 पीसी-2017/ए/टीए/1 दिनांक 17.08.2017 को हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

सलग्नक/यथापारि

( यू0 पी0 सिंह )  
उपमुकावि/अराण  
कृत महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महासत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महासत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महासत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महासत्री/इससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- पुष्प शर्मा/एनपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृत महाप्रबन्धक/कार्मिक  
DC  
11.10.2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड) /(RAILWAY BOARD)

क्र. सं.पीसी-VII 42  
सं.पीसी-V/2017/ए/टीए/1

NE

महाप्रबन्धक कार्यालय  
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर  
06 SEP 2017  
RB  
महाप्रबन्धक 12 सचिव

आरबीई सं. 987  
नई दिल्ली, दिनांक 17.08.17

महाप्रबन्धक  
सभी भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयों,  
(आयु सूची के अनुसार)

पूर्वोत्तर रेलवे

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों- रेलवे कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करना।

रेलवे कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करने से संबंधित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में बोर्ड के दिनांक 03.08.2017 के समसंख्यक पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेलवे कर्मचारियों को पे नैटिव्स के पे लेवल 1 एवं 2 में 24,200/- रुपए एवं इससे अधिक वेतन ले रहे हैं, बोर्ड के परिपत्रित पत्र के अनुलग्नक में उल्लिखित शहरों में 3600/- रुपए + उक्त पर महंगाई भत्ते की दर से तथा अन्य सभी शहरों में इस पर महंगाई भत्ते की दर से परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के पात्र होंगे।

1. बोर्ड के दिनांक 03.08.2017 के ऊपर उल्लिखित पत्र के अन्य सभी विषय अपरिवर्तित रहेंगे।
2. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।
3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(वित्त मंत्रालय का दिनांक 2 अगस्त, 2017 का कार्यालय जापन सं. 21/5/2017-ई.11(बी))

132

Learned  
5-10

(एन. पी.)  
उप निदेशक, वेतन आयोग  
रेलवे